

पत्रांक-बी/पु0फायरिंग(बगहा)-05/2013-...../

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

श्री वैद्यनाथ प्रसाद,
सचिव, बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग,
7 साऊथ बेली रोड, पटना

पटना, दिनांक-...../2016

विषय- बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग को स्थापना व्यय हेतु वर्ष 2016-17 में बिहार आकस्मिकता निधि अग्रिम से 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) मात्र आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग का अवधि विस्तार विभागीय अधिसूचना संख्या-179 दिनांक-08.01.2016 द्वारा 05.01.2016 से 04.07.2016 तक किया गया है, के फलस्वरूप आयोग के वेतनादि एवं कार्यालय व्यय के लिए स्वीकृत्यादेश सं0-5231, दिनांक-1-6-16 के द्वारा कुल 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि के व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्यय मांग सं0-22, बजट शीर्ष खण्ड-II-8000 आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-105-विशेष जाँच आयोग, उप शीर्ष-0017-बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग, विपत्र कोड-एन-2070001050017 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कुल आवंटन 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से उपबंध किया गया है।

2. अतः उक्त शीर्ष में उपबंधित राशि आयोग के व्यय के लिए निम्नरूपेण ईकाईवार आवंटित की जाती है:-

विषय शीर्ष

0101	-	वेतन	12,50,000/-
0107	-	अन्य भत्ता	2,50,000/-
1101	-	यात्रा व्यय	1,50,000/-
1301	-	कार्यालय व्यय	1,50,000/-
1302	-	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	5,00,000/-
1303	-	दूरभाष	40,000/-
1304	-	विद्युत प्रभार	40,000/-
2801	-	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	6,20,000/-
		योग	30,00,000/- (तीस लाख रुपये) मात्र

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्री वैद्यनाथ प्रसाद, सचिव, बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग, 7 साऊथ बेली रोड, पटना (अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ता छोड़ कर) होंगे। अध्यक्ष अपना वेतन एवं अन्य मदों की निकासी स्वयं करेंगे।

4. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. आकस्मिकता निधि से राशि की निकासी हेतु उप महालेखाकार के निर्देश के तहत अलग से विपत्र तैयार किया जाना होगा जिस पर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से बजट शीर्ष खण्ड-II-8000 आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-105-विशेष जाँच आयोग, उप शीर्ष-0017-बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग, अंकित करना अनिवार्य होगा।

6. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दि०-17.4.1998 ससमय यथा संशोधन के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. उक्त राशि का व्यय जिस मद में आवंटित की गई है उसी मद में व्यय की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में उक्त आवंटित राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

8. यदि किसी कारणवश उक्त राशि का उपयोग न हो सके तो उसका प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को ससमय निश्चित रूप से कर दिया जाएगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-...../2016

ज्ञापांक-...../

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-...../2016

ज्ञापांक-...../

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-...../2016

ज्ञापांक-...../

प्रतिलिपि :- श्री राजेन्द्र प्रसाद, (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, पटना), अध्यक्ष, बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग, 7, साऊथ बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-1/6/2016

ज्ञापांक-5235/

प्रतिलिपि :- आई० टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Jitendra
21.06.16
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

महालेखाकार (ले0एवं हक0) बिहार

वीरचंद पटेल पथ, पटना

*
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

*
द्वारा- वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय- बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग को स्थापना व्यय हेतु वर्ष 2016-17 में बिहार आकस्मिकता निधि अग्रिम से 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) मात्र के अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

पटना, दिनांक-...../2016

आदेश :-स्वीकृत।

2. बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग का अवधि विस्तार विभागीय अधिसूचना संख्या-179 दिनांक-08.01.2016 द्वारा 05.01.2016 से 04.07.2016 तक किया गया है, के फलस्वरूप आयोग के वेतनादि एवं अन्य मदों में व्यय के लिए कुल राशि 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञाप सं0-ब.17/बी0सी0एफ0-76/2016-12 सी0एफ0 दिनांक-27.05.2016 के द्वारा दी गई है।

3. इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0-22, बजट शीर्ष खण्ड-II-8000 आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-105-विशेष जाँच आयोग, उप शीर्ष-0017- बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग, विपत्र कोड-N2070001050017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा।

4 आकस्मिकता निधि से राशि की निकासी हेतु उप महालेखाकार के निर्देश के तहत अलग से विपत्र तैयार किया जाना होगा जिस पर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से बजट शीर्ष खण्ड-II-8000 आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-105-विशेष जाँच आयोग, उप शीर्ष-0017- बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग अंकित करना अनिवार्य होगा।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्री वैद्यनाथ प्रसाद, सचिव, बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग, 7 साऊथ बेली रोड, पटना (अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ता छोड़ कर) होंगे। अध्यक्ष अपना वेतन एवं अन्य मदों की निकासी स्वयं करेंगे।

6. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

7. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश सं0-2561 दि0-17.4.1998 के आलोक में की जाएगी। संदर्भ पत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन का दायित्व सचिव, बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग का होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-...../2016

प्रतिलिपि :-श्री राजेन्द्र प्रसाद, (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, पटना), अध्यक्ष/श्री वैद्यनाथ प्रसाद, सचिव, बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग, 7 साऊथ बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-...../2016

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-...../2016

प्रतिलिपि :-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5234/

पटना, दिनांक 01/06/2016

प्रतिलिपि :-आई० टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Jitendra ..
01.06.16
सरकार के विशेष सचिव

[Signature]
1/6